NATION TAX MARKET		::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,द्वितीय तल,जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,राजकोट / Rajkot – 360 001						
			No. 0281 –	2477952/	2441142Email:	: cexappealsraj	kot@gmail.com	
	<b>-टर्ड डाक ए.डी.द्</b> अपील / फाइलसंख्या/	<u>वारा</u> :-			मूल आदेश सं /			दिनांक/
क	Appeal /File No.	_			0.1.0. No.			Date
	V2/58/RAJ/2019	•			18/DC/KG/	2018-19		22-02-2019
ख	अपील आदेश र	संख्या(C	)rder-In-App	beal No.)	:			
			<u>RAJ-</u>	XCUS	5-000-APP	-030-2020		-
	आदेश का दिन Date of Orde		12.02.20	020	जारी करने ब Date of iss	• • • • • • • • • •	12.0	2.2020
					ट द्वारा पारित missioner (A		jkot	
ग	अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: / Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Centra Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :							
घ	•	-			iress of the <b>App</b>	ellants & Resp	ondent :-	
			·			-	Jamnagar-3603	11.
	इस आदेश(अपील Any person a way.	) से व्यथित ggrieved	ा कोई व्यक्ति निर by this Order	म्नलिखित त in-Appea	रीके में उपयुक्त प्राप्ति 1 may file an ap	धेकारी / प्राधिकरण opeal to the app	ा के समक्ष अपील दाय propriate authori	ार कर सकता है।/ ity in the followin
(A)	35B के अंतर्गत 1	एवं वित्त आ	धेनियम, 1994	की धारा 86	के अंतर्गत निम्नलि	खि+त जगह की ज	ा सकती हैँ ।/	नेयम ,1944 की धा 4 / Under Sectio
(i)	86 of the Fina	ance Act,	1994 an app	eal lies to:	:-			ण की विशेष पीठ, वे
	ब्लॉक न 2, आर-	के. पुरम, ब	नई दिल्ली, को की	। जानी चाँहिए	₹ I/	•		, R.K. Puram, Ne
(ii)	Delhi in all m उपरोक्त परिच्छेट	latters re र 1(a) में ब	lating to class Iताए गए अपीलों	sification a के अलावा शे	and valuation. ष सभी अपीलें सीमा	शल्क.केंदीय उत्पा	द शल्क एवं सेवाकर :	अपीलीय न्यायाधिकर
	To the West Bhaumali Bh			5	ो भवन असार्वा अहम xcise & Service 2016in case of			FAT) at, 2 <sup>nd</sup> Floc med in para- 1(
(iii)	अपीलीय न्याया निर्धारित किए ग ब्याज की मॉंग अ तो क्रमश: 1,00 भगतान, संबंधित	धेकरण के ये प्रपत्र EA ौर लगाया )0/- रुपये, 1 अपीलीय	समक्ष अपील प्रर -3 को चार प्रतिय गया जुर्माना, रुप 5,000/- रुपये न्यायाधिकरण र्व	त्तुत करने वे ों में दर्ज किय ए 5 लाख या अथवा 10,( जे शाखा के स्	न लिए केन्द्रीय उत्प 11 जाना चाहिए   इन उससे कम,5 लाख 200/- रुपये का नि 161यक रजिस्टार के	ाद शुल्क (अपील)ति में से कम से कम ए रुपए या 50 लाख हिंदित जमा शुल्क नाम से किसी भी	नेयमावली, 2001, व क प्रति के साथ, जहां रुपए तक अथवा 50 की प्रति संलग्न के सार्वजिनक क्षेत्र के बैं हेए जहां संबंधित अप शुल्क जमा करना हो	के नियम 6 के अंतर उत्पाद शुल्क की मॉग लाख रुपए से अधिक रं। निर्धारित शुल्क क दवारा जारी रेखांबि
								cribed under Ru at least should re amount respectively in t sector bank of t of the Tribunal
(B)	अपीलीय न्यायागि तहत निर्धारित प्र संलग्न करें (उनम् लगाया गया जुम रुपये, 5,000/- न्यायाधिकरण र्व चाहिए । संबंधित	धेकरण के 1पत्र S.T में से एक प्र र्ने से एक प्र र्ने से एक प्र रुपये अथव जे शाखा के 1 ड्राफ्ट का	समक्ष अपील, वि 5में चार प्रतियों व ति प्रमाणित होनी 5 लाख या उससे 11 10,000/- रुप सहायक रजिस्टा भुगतान, बैंक की	त अधिनियम में की जा सवे चाहिए) और कम,5 लाख त्ये का निर्धारि र के नाम से ो उस शाखा	1,1994की धारा 86 ज्ञी एवं उसके साथ र इनमें से कम से क रुपए या 50 लाख रु रेत जमा शुल्क की प्र किसी भी सार्वजिनब	(1) के अंतर्गत सेव जिस आदेश के विन् म एक प्रति के साथ पए तक अथवा 50 गति संलग्न करें। नि ह क्षेत्र के बैंक द्वारा ं संबंधित अपीलीय	तकर नियमवाली, 19 ह्रद्ध अपील की गयी 1, जहां सेवाकर की मां लाख रुपए से अधिव धीरित शुल्क का भुग जारी रेखांकित बैंक न्यायाधिकरण की श्	994, के नियम 9(1) हो, उसकी प्रति साथ हो, उसकी प्रति साथ है तो क्रमुश: 1,000 तान, संबंधित अपीर्ल ड्राफ्ट द्वारा किया जा 11खा स्थित है । स्थर
							to the Appellate Service Tax Rule Il be certified conterest demanded trest demanded here the amoun the form of cross Bank of the plac panied by a fee of	Tribunal Shall s, 1994, and Sha py) and should d & penalty levid & penalty levid t of service tax ssed bank draft e where the ben f Rs.500/

X.  ...2...

(i) वित अधिनियम,1994की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शूल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीर उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अर्थवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाएँ, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
  - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है
  - धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
  - सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (ii)
  - सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम (iii)

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

- बशते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (स. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/ For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include : (i) amount determined under Section 11 D; (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken; (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules - provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

## (C)

(i)

भारत सरकार कोपूनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रयमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई,वित मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद माग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outsideIndia export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गईं है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न. 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि (iv)

पर या बाद में पारित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or alter, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rûles, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account. (v)

पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)

- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended. (E)

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मितित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट তল্য সমাধাৰ সামৰকাৰে কা সমাল ব্যাওল কৰে स सबाधत व्यापक, ।वस्तृत आर नवानतम प्रावधानों के लिए, अपीलायी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

## ORDER-IN-APPEAL

M/s Khedut Hat, Gondal [hereinafter referred to as "appellant"] has filed appeal No. V2/58/RAJ/2019 against Order-in-Original No. 18/DC/KG/2018-19 dated 22.2.2019 [hereinafter referred to as "impugned order"] passed by the Dy. Commissioner, Central Goods and Service Tax Division, Rajkot-II [hereinafter referred to as "adjudicating authority"].

2. Briefly stated, the facts of the case are that Show Cause Notice No. ST/AR-3/65/KhedutHat/2015-16 dated 25.9.2017 was issued to the appellant for non payment of service tax. The adjudicating authority confirmed Service Tax demand of Rs. 14,37,289/- along with interest and penalty vide the impugned order. Aggrieved, the appellant has filed the instant appeal.

3. The Appellant vide email dated 10.2.2020 informed that they had opted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 [for short-SVLDRS] for the issue under appeal and that the designated committee has accepted their application under SVLDRS and issued discharge certificate dated 25.1.2020 (SVLDRS-4) to the appellant in terms of provisions of Section 127 of the Finance Act, 2019 and requested to withdraw their appeal.

4. I find that as per provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019, in respect of a declaration filed under SVLDRS which is accepted by the designated committee and issued discharge certificate, the appeal before appellate authorities challenging the issue/tax dues for which settlement is sought under SVLDRS, will be deemed to have been withdrawn. The relevant provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019 is as under:

"(6) Where the declarant has filed an appeal or reference or a reply to the show cause notice against any order or notice giving rise to the tax dues, before the appellate forum, other than the Supreme Court or the High Court, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of any law for the time being in force, such appeal or reference or reply shall be deemed to have been withdrawn. "

5. In view thereof, the appeal under consideration is to be considered as withdrawn. Accordingly, I dismiss the appeal as withdrawn.

2121202

(GOPI NATH) Commissioner(Appeals)

Attested V.T.SHAH) Superintendent(Appeals)

By R.P.A.D.

To I I I I I I I	सेवा में,	
M/s Khedut Hat, Moti Bazar, Darbar Chowk,	मे खेदुत हाट,	
Gondal.	मोटी बाज़ार, दरबार चौक,	
	गोंडल।	

प्रतिलिपि :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र,अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उप आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल, राजकोट-II को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4) गाई फ़ाइल। — (\_\_\_\_\_

